6. विभाजन विलेख

विभाजन विलेख तारीख को किया गया।

के बीच

श्री ..................... ..................... पुत्र ..................... ..................... निवासी ..................... ..................... और श्री ..................... .....................पुत्र ......... .................. ..................... निवासी..................... ..................... (इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया) और श्री ...................... ..................... पुत्र ..................... ..................... निवासी ...................... ..................... (इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया)।

यतः उपर्युक्त पक्षकारगण इसमें इसके नीचे वर्णित एक अनुसूची में वर्णित पक्षकारों के एक समान हिस्सों में संयुक्त स्वामी है।

और यतः लिखत के पक्षकारगण एक बराबर हिस्सों के हकदार है इसलिए इसकी उपर्युक्त सम्पत्ति का विभाजन समान भागों में किया जा रहा है और क्रमशः प्रत्येक पक्षकार को आबंटित की जा रही है।

**अतएव, अब यह विभाजनवाद निम्नलिखित रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है –**

1. यह कि लिखत के पक्षकारगण एतद्द्वारा सहमत हो जाते हैं और घोषणा करते हैं –
	1. यह कि प्रथम पक्षकार इसकी प्रथम अनुसूची में यथा वर्णित..................... .....................के आत्यंतिक स्वामी की हैसियत से अनन्य रूप में कब्जा रखता है और उसका उपभोग करता है।
	2. यह कि द्वितीय पक्षकार द्वितीय अनुसूची में यथावर्णित ..................... ..................... के आत्यंतिक स्वामी की हैसियत से अनन्य रूप से कब्जा रखता है उसका उपभोग करता है।
2. यह कि इस लिखत के पक्षकारगण एतद्द्वारा यह प्रसंविदा करते हैं कि प्रत्येक पक्षकार को एतद्द्वारा आवंटित की गयी सम्पत्ति उनके या उनमें से किसी के भी लिए न्यास के अधीन या उसके जरिये दावा करने वाले दूसरे या किसी एक द्वारा किसी मध्यक्षेप या किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप द्वारा पृथक तौर पर एक तत्काल धृति पर प्रविष्ट करायेगा।
3. यह कि इस लिखत के पक्षकारों में से प्रत्येक को आवंटित की गयी सम्पत्तियों का स्वत्व विलेख क्रमशः पक्षकारों द्वारा सम्यक रूप से प्राप्त किया गया है और प्रत्येक पक्षकार दुसरे पक्षकार के अपवर्जन द्वारा सम्पत्ति का आत्यंतिक स्वामी हो गया है।
4. यह कि इस लिखत के पक्षकारगण जब कभी संदर्भ वैसी स्वीकृति प्रदान करे, उनके क्रमशः वारिसानों, उत्तरवर्तियों, निष्पादकों प्रशासकों एवम् समनुदेशितियों सम्मिलित होंगे।
5. यह कि पक्षकारगण पारस्परिक तौर पर प्रत्येक दूसरे को निर्मोचित कर देते हैं और प्रत्येक दुसरे को रखने के लिए उपर्युक्त सम्पत्ति की बाबत सभी कार्यवाहियों, दावों एवम् माँगों से क्षतिपूर्ति किया।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने साक्षियों की उपस्थिति में विभाजन के इस विलेख पर अपना हस्ताक्षर किया है।

साक्षीगण

1. .....................
2. .....................

|  |  |
| --- | --- |
| प्रथम पक्षकार | प्रथम अनुसूची |
| द्वितीय पक्षकार | द्वितीय अनुसूची  |